न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 172/2021

अन्तर्गत धारा 88,40,188,207 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सगराराम पुत्र दमाराम के कायम मुकाम 1.1 सुरेशकुमार पुत्र सगराराम 1.2 सवाईलाल पुत्र सगराराम 1.3 रेवन्तकुमार पुत्र सगराराम 1.4 भवानी पुत्री सगराराम 1.5 पेमीबाई पत्नी सगराराम 2. वीराराम पुत्र दमाराम जाति कुमावत, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. पताराम पुत्र दमाराम जाति कुमावत, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री जेठाराम कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 02.08.2023

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एक ही परिवार के सदस्य है, जो पूर्व पुरूष स्व0 भारूराम के वशंज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व दादाजी की सम्पति एवं निजी आय से संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा रावत का गांव, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 79 रकबा 15.3861 हैक्टेयर की आयी हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता दमाराम एवं दादा भारूराम की निजी आय व खेती से विवादित आराजी को बड़े भाई पताराम के नाम उक्त भूमि पंजीयन करवा दी। उक्त विवादित पंजीयन करवाई उस समय पताराम की उम्र मात्र 8 वर्ष थी तथा पताराम के नाबालिग होने से उक्त विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बहक बराबर 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त आराजी में मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। उक्त विवादित आराजी पूर्व पुरूष स्व. भारूराम की निजी आय से खरीद की होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण प्रथ श्रैणी के विधिक उत्तराधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक संपति में पुत्र/पौत्र का जन्म से ही अधिकार होता है। वर्तमान में उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण से ईर्ष्या भाव एवं नियत में खोट होने से उक्त संयुक्त खातेदारी एवं हक हिस्सा की भूमि का अन्य भूमाफियाओं को बैचान करने पर आमादा है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को संयुक्त पैतृक खातेदारी भूमि का बैचान करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने पर वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विकास एवं अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते है, इसलिए वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित करवाने का अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने को स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार शिव द्वारा जवाब पेश कर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् अनापत्ति पेश की गई है। उभयपक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकारान् द्वारा अपने बयान कलमबद्ध करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि वर्तमान जमाबंदियां, विरासती नामांतरकरण व बैचान दस्तोवज पेश किये गये। वादीगण की ओर से साक्ष्य स्वरूप बयान गवाह शपथ पत्र व वादी संख्या 1 के वारिशान के संबंध में 50/– रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी में स्वंय के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति पत्र पेश किया गया।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ विरासती हक हिस्सा होने एवं उभयपक्ष सहमत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तद्नुसार वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा वादीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण की खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 भारूराम के विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता दमाराम एवं दादा भारूराम की निजी आय व खेती से विवादित आराजी को बड़े भाई पताराम के नाम उक्त भूमि पंजीयन करवा दी। उक्त विवादित भूमि पंजीयन करवाई उस समय पताराम की उम्र मात्र 8 वर्ष थी तथा पताराम के नाबालिग होने से उक्त विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बहक बराबर 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। अतः उनके हक हिस्सों का अंतरण भी बराबर होना चाहिए था। वर्तमान जमाबंदी में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है, जबकि वादीगण अधिवक्ता की ओर से पेश दस्तावेज तथा साक्ष्य शपथ पत्र से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व पुरूष स्व0 भारूराम के वारिश होना साबित है। चूंकि उक्त वाद में वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा भी विवादित आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। उभयपक्ष पक्षकारान् द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रावत का गांव, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 79 रकबा 15.3861 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 के कायम मुकाम का संयुक्त रूप से खातेदारी हिस्सा 1/3, वादी संख्या 2 का खातेदारी हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/3 घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को उपरोक्तानुसार भूमि संबंधित बैंक से रहनमुक्त करवाये जाने के बाद राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner